उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या–924 / 2021

भारती ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित :
श्री संजय कुमार, अधिवक्ता – याचिकाकर्ता की ओर से।
श्री एस0एन0 बाबुलकर, एडवोकेट जनरल मय सुश्री मनीषा राणा सिंह व श्री ललित मिगलानी – प्रत्यर्थी संख्या–1, 2 व 3 की ओर से।
श्री संदीप टन्डन, अधिवक्ता – प्रत्यर्थी संख्या–4 सी0बी0आई0।

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे0 (मौखिक)

याचिकाकर्ता के द्वारा थाना कोतवाली हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–261 / 2021, अन्तर्गत धारा–302 भा0दं0सं0 की विवेचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में सी0बी0आई0) को अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

2. विवाद को समझने के लिए संक्षेप में आवश्यक तथ्य निम्नवत हैं –

याचिकाकर्ता के द्वारा दिनांक–03.03.2021 को अपने पति प्रवेश कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504, 345 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में पोक्सो अधिनियम) की धारा–9 सपठित धारा–10 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर पर दिनांक–03.03.2021 को समय 11:55 पी0एम0 पर दर्ज की गयी है। उक्त प्राथमिकी के अनुसरण में दिनांक–04.03.2021 को प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुण्डेश्वरी में दाखिल किया गया है और इस आशय की प्रविष्टि जी0डी0 रिपोर्ट नम्बर–30 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर पर की गयी है। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि प्रवेश कुमार स्वस्थ और तंदरूस्त थे और उसे कोई चोट नहीं थी। प्रवेश कुमार को दिनांक–05.03.2021 को न्यायालय अपर जिला जज / एफ0टी0सी0 / स्पेशल जज पोक्सो, ऊधम सिंह नगर के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था

और रिमाण्डशीट में प्रवेश कुमार को कोई चोट न होना अंकित किया गया है। दिनांक–05.03.2021 को समय 04:29 पी0एम0 पर प्रवेश कुमार को उप कारागार, हल्द्वानी में दाखिल किया गया है तथा उप कारागार की पंजिका के क्रमांक संख्या–24 पर उसकी प्रविष्टि की गयी है। जब उसे उप कारागार हल्द्वानी में दाखिल किया गया तो प्रवेश कुमार की कोविड–19 के लिए जांच की गयी और जांच रिपोर्ट नकारात्मक थी। उसी दिन उप कारागार हल्द्वानी के अस्पताल में प्रवेश कुमार की चिकित्सीय जांच गयी परन्तु उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी थी। यह नोट किया गया था कि प्रवेश कुमार दीर्घकालीन शराबी था। दिनांक–06.03.2021 को उप कारागार, हल्द्वानी के अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग के क्रमांक संख्या–164 पर इस आशय की प्रविष्टि की गयी थी कि प्रवेश कुमार अचानक जमीन पर गिर गये और उसे हल्द्वानी के बेस अस्पताल में रैफर किया गया। प्रवेश कुमार को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में ले जाया गया, जहां बाह्य रोगी विभाग के रजिस्टर के क्रमांक संख्या–29 पर यह प्रविष्टि की गयी थी कि उसे मृत लाया गया था। उसके शरीर पर 10 चोटे थी, जो इस प्रकार हैं –

> ''1. नीली लाल चोट जो कि बांये पैर के पिछले हिस्से पर है, जो ऊपर से लेकर एक तिहाई मध्य थाई तक जा रही है, जिसकी माप 40 सेमी0 x 30 सेमी0 है, चोट का निचला हिस्सा हीलएण्ड से 30 सेमी0 ऊपर है तथा चोट का ऊपरी हिस्सा ग्लूटल क्लेफ्ट से 20 सेमी0 ऊपर है।
>
> 2. नीला–लाल पैटर्न चोट का निशान जो कि सामानान्तर बांये पैर के पिछले हिस्से में पप्लीलेटल फोसा से 06 सेमी0 नीचे है, जिसकी माप 12 सेमी0 x 9 सेमी0, उसके साथ ही सामानान्तर एक चोट का निशान जो 0.4 सेमी0 चौड़ा है, जिसके कारण एक लीनियर हैमरेज बना है जिसकी चौड़ाई 1.8 सेमी0 है।
>
> 3. प्रथम व द्वितीय चोट को चीरा लगाकर खोलने पर उसमें 200 एम0एल0 क्लोटेड ब्लड आया है, जो कि बांयी जांघ के पिछले मसल्स में है और उक्त चोट के ऊपरी हिस्से में क्लोटेड ब्लड फैला हुआ है।
>
> 4. नील की चोट का निशान जो कि दायीं पैर की जांघ के पिछले हिस्से पर है, जो कि मध्य जांघ से नीचले हिस्से तक पहुंचता है जिसकी माप 11 सेमी0 x 15 सेमी0 है, जिसमें चीरा लगाने के उपरान्त मसल्स में अन्दरूनी चोटे हैं।
>
> 5. लाल रंग का रगड़ की चोट का निशान जो कि बांये कूल्हे के पिछले हिस्से पर है, जिसकी माप 4 सेमी0 x 1 सेमी0 है।

6. नीलनुमा चोट का निशान जो कमर के पिछले हिस्से पर है, जो ग्लूटल क्लफ्ट से 21 सेमी0 ऊपर बीच में है, जिसकी माप 5 सेमी0 x 1 सेमी0 है, चीरा लगाने पर उसकी अंदरूनी मसल्स फटी हुई पायी गयी हैं।

7. नीलनुमा चोट का निशान जो पेट के दायीं तरफ नीचले हिस्से पर है, जिसकी माप 2.5 सेमी0 x 2 सेमी0 है, जो कि पेट के बीच के हिस्से से 10 सेमी0 और हील से 87 सेमी0 की दूरी पर है। चीरा लगाने से अन्दरूनी चमड़ी (Subcutaneous tissue) में खुली चोट का निशान है।

8. नीलनुमा चोट का निशान, जो कि दायें पैर की एड़ी पर है, जिसकी माप 1.5 सेमी0 x 2 सेमी0 है, जो कि ग्रेटर टो से 02 सेमी0 की दूरी पर है।

9. नीलनुमा चोट का निशान, जो कि दायें पैर के तलवे पर है, जिसकी माप 1.2 सेमी0 x 1 सेमी0 है, जो कि एड़ी के मध्य से 03 सेमी0 नीचे की ओर है। चोट नम्बर–8 व 9 पर चीरा लगाने से मसल्स से रक्तस्राव हुआ है।

10. लाल–भूरी रगड़ की चोट का निशान जो बांये पैर के ऊपर एक तिहाई भाग पर है, जिसकी माप 3.8 सेमी0 x 2.3 सेमी0 है।

3. याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था। उसने उसके पति के शरीर पर चोटों को देखा था परन्तु उक्त चोटों के बारे में याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार दिनांक–13.03.2021 को राहुल श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के द्वारा याचिकाकर्ता को टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया गया कि दिनांक–06.03.2021 को लगभग 02:00 पी0एम0 पर प्रवेश कुमार (जिसे इसके बाद मृतक के रूप में सन्दर्भित किया गया है) उप कारागार हल्द्वानी में काफी परेशान था और बहुत शोर मचा रहा था। इसलिए उसे उप कारागार के गार्डों हेड कां0 देवेन्द्र प्रसाद यादव कीर्ति नैनवाल, देवेन्द्र रावत व हरीश के द्वारा डण्डा, पट्टा, लात और मुक्कों से पीटा गया था। इस पिटाई के कारण मृतक नीचे गिर गया था। राहुल श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि वह उक्त दिन उप कारागार हल्द्वानी में मौजूद था। इसके बाद याचिकाकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हल्द्वानी पुलिस स्टेशन गयी परन्तु उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में एस0एस0पी0) नैनीताल के पास गयी तथा अन्य उच्च अधिकारियों से सम्पर्क किया लेकिन कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

4. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (संक्षेप में डी0एल0एस0ए0) नैनीताल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह विवरण अंकित किया गया कि कैसे न्यायिक अभिरक्षा में याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हुई है और किसके द्वारा, किस प्रकार से उसकी हत्या कारित की गयी है तथा उसके बारे में याचिकाकर्ता को कैसे पता चला है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को दिनांक–22.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय एस0एस0पी0, नैनीताल ने सर्किल ऑफिसर पुलिस हल्द्वानी के माध्यम से जांच करायी गयी और उसके बाद सचिव, डी0एल0एस0ए0 को सूचित किया गया कि चूंकि मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, इस कारण आगे की कार्यवाही मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद की जायेगी। उक्त पत्राचार दिनांक–05.04.2021 को किया गया था।

5. याचिकाकर्ता ने सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा–156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और एक आदेश पारित किया गया। इसके बाद पुलिस थाना हल्द्वानी पर उप कारागार हल्द्वानी के चारों गार्डों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–261/2021 अन्तर्गत धारा–302 भा0दं0सं0 पंजीकृत की गयी। याचिकाकर्ता ने अन्वेषण को सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित करने की याचना की है। याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा संख्या–11 में उन तथ्यों का उल्लेख किया है कि वह पुलिस की विवेचना से किस कारण खुश नहीं है। उक्त तथ्य निम्न प्रकार हैं –

> ''11. इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस विभाग कई बार बन्दियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता के पति को उप कारागार के गार्डों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। कारागार में बन्दियों की देखभाल के लिए गार्डों के सिवाय अन्य कोई मौजूद नहीं है लेकिन वर्तमान मामले में रक्षक ही भक्षक बने हैं। याचिकाकर्ता ने कारागार की सलाखों के पीछे की सच्चाई उजागर करने के लिए हर सम्भव दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि पुलिस विभाग मामले को दफनाना चाहता था और परिणामस्वरूप मजबूरन याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा न्यायालय के निर्देश पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जो उससे पूर्व भी दर्ज की जा सकती थी। अगर उक्त मामले की जांच किसी स्वतंत्र अन्वेषण एजेंसी को नहीं सौंपी जाती है तो ऋजु और निष्पक्ष न्याय का

उद्देश्य विफल हो जायेगा और याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन होगा तथा दोषियों के हाथ मजबूत होंगे।''

6. न्यायालय ने उत्तराखण्ड राज्य के विद्वान अधिवक्ता से कुछ दस्तावेज मांगे थे, जो प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के द्वारा एस0एस0पी0, नैनीताल से जवाब मांगा गया जो प्राप्त हुआ, जिसे इस आदेश में उपयुक्त स्थान पर सन्दर्भित किया जायेगा।

7. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने के बावजूद वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी थी। याचिकाकर्ता एस0एस0पी0 नैनीताल के यहां दो बार पहुंची परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। वर्तमान मामले में केवल एक चश्मदीद गवाह है जिसे पुलिस के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। मृतक की मृत्यु न्यायिक अभिरक्षा में हुई है। मृतक के शरीर पर जिस प्रकार की चोटे पायी गयी हैं उससे यह पता चलता है कि उसकी मृत्यु जमीन पर गिरने या किसी सतह से टकराने के कारण नहीं हुई है बल्कि न्यायिक अभिरक्षा में कारित की गयी क्रूरता के कारण हुई है। याचिकाकर्ता को यह आशंका है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से मामले की विवेचना नहीं करेगी। इसलिए मामले की विवेचना सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित की जा सकती है।

9. दिनांक–08.07.2021 को न्यायालय के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विद्वान अधिवक्ता से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे गये थे –

''1. पुलिस चौकी कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर की दिनांक–03.03.2021 की जनरल डायरी की प्रविष्टि जब मृतक को प्रथम बार उक्त पुलिस चौकी में लाया गया था या किसी अन्य तिथि की जनरल डायरी की प्रविष्टि जिसमें मृतक उक्त पुलिस चौकी में आया था।

2. रिमाण्डशीट की प्रति जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता की शिकायत पर मृतक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। यह प्रति सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर को भेजी जाये,

याचिकाकर्ता के अनुसार जिस न्यायालय ने मृतक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है।

3. उप कारागार हल्द्वानी की दिनांक–05.03.2021 की प्रविष्टि जब मृतक को कारागार में दाखिल किया गया था और कारागार में दाखिल करते समय मृतक की, की गयी चिकित्सा जांच की प्रति भी प्रस्तुत की जाये।

4. याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पारित किये गये आदेश की प्रति, जिसमें एस0एस0पी0 नैनीताल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा उक्त आदेश/प्रार्थना पत्र पर पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उसकी प्रति भी प्रस्तुत की जाये।

5. वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट की जांच कब प्रारम्भ की गयी ? कब आदेश पारित किया गया ? आदेश की प्रति संलग्न की जाये।

10. दिनांक–15.07.2021 को न्यायालय ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर एस0एस0पी0 नैनीताल से जवाब मांगा –

''1. कानून के किस प्रावधान के तहत मजिस्ट्रेट की जांच की जा रही थी ?

2. कानून का कौन–सा प्रावधान मजिस्ट्रेट जांच के विचाराधीन रहने के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में हुई मौत के आरोपों के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर रोक लगाता है ?

3. कानून के किस प्रावधान के तहत एस0एस0पी0 नैनीताल ने सी0ओ0 हल्द्वानी से जांच करायी है ?

4. क्या सी0ओ0 हल्द्वानी ने उक्त डॉक्टर का बयान दर्ज किया है, जिसने मृतक व्यक्ति पर चोटों का अवलोकन किया था ?

5. क्या सी0ओ0 हल्द्वानी ने चोटों आदि की प्रकृति के सम्बन्ध में उक्त डॉक्टर का बयान दर्ज किया था ?

6. जब मजिस्ट्रेट जांच पहले से ही चल रही थी और जब एस0एस0पी0 नैनीताल ने इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया था कि मजिस्ट्रेट जांच चल रही है तो एस0एस0पी0 नैनीताल ने सी0ओ0 हल्द्वानी पुलिस से जांच कराना उचित और वैध किस आधार पर माना ?

7. दिनांक–15.03.2021 को कोतवाली हल्द्वानी में तैनात पुलिस कांस्टेबल की क्या प्रतिक्रिया थी, जिनसे सी0ओ0 हल्द्वानी ने याचिकाकर्ता की रिपोर्ट के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था ?

11. न्यायालय के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विद्वान अधिवक्ता से भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डी0के0 बासु बनाम बंगाल राज्य व अन्य (2015) 8 एस0सी0सी0 744 के पैरा संख्या–38.5 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी, जो इस प्रकार है –

''38.5. राज्य सरकारें आज से एक वर्ष की अवधि के भीतर और अधिकतम दो वर्ष से पूर्व अपने–अपने राज्यों की सभी जेलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने के लिए कदम उठायेंगी।''

12. विद्वान महाधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करेंगे कि एस0एस0पी0 नैनीताल ने केवल अपनी सन्तुष्टि के लिए सी0ओ0 हल्द्वानी के माध्यम से जांच कराने का आदेश दिया था क्योंकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दर्शित नहीं था। एस0एस0पी0 नैनीताल ने न्यायिक जांच के लिए आग्रह किया था जो पूर्व से दिनांक–09.03.2021 से प्रारम्भ हो चुकी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के तहत दिये गये निर्देश के अनुसार पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, जिसमें विवेचना जारी है, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। एस0एस0पी0 नैनीताल के द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सी0बी0आई0 जांच का आदेश नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है और सी0बी0आई0 से विवेचना कराने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए। विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा शाकिरी बासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 2 एस0सी0सी0 409 व पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट, पश्चिम बंगाल व अन्य (2010) 3 एस0सी0सी0 571 के मामलों का सन्दर्भ दिया गया है और शाकिरी बासु (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा संख्या–10 और 11 को सन्दर्भित किया गया है, जो निम्नवत है –

''10. इस न्यायालय द्वारा सी0बी0आई0 और अन्य बनाम राजेश गांधी और अन्य 1997 क्रि0एल0जे0 63 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि किसी अपराध का अन्वेक्षण किसी विशिष्ट अन्वेषण एजेन्सी द्वारा किया जाये। हम उपरोक्त निर्णय के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हैं। एक व्यथित व्यक्ति केवल यह दावा

कर सकता है कि अपराध का आरोप उसके द्वारा लगाया गया है उसकी ठीक प्रकार से विवेचना की जाये परन्तु उसे यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उक्त मामले की विवेचना उसकी पसन्द की किसी विशेष अन्वेषण एजेन्सी के द्वारा की जाये।

11. इस सम्बन्ध में यह बताना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की यह शिकायत है कि पुलिस थाना धारा–154 द0प्र0सं0 के तहत उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है तो वह धारा–154(3) के तहत लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर सकता है। यदि इसके बावजूद कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिलता है या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी कोई उचित विवेचना नहीं की जाती है तो व्यथित व्यक्ति के पास यह विकल्प है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के तहत सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के तहत ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे मामले में, जहां व्यथित व्यक्ति के अनुसार कोई उचित विवेचना नहीं की गयी है वहां मजिस्ट्रेट उचित विवेचना किये जाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है और उचित विवेचना सुनिश्चित करने के लिए विवेचना का पर्यवेक्षण कर सकता है।''

13. पश्चिम बंगाल राज्य (उपर्युक्त) का पैरा संख्या–70 सन्दर्भित है, जो निम्नवत है –

''70. मामले को छोड़ने से पहले हम इस बात पर जोरदेना आवश्यक समझते हैंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–32 और 226 के द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व–अधिरोपित सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के तहत शक्ति की प्रचूरता के लिए इनके अभ्यास में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां तक किसी मामले की विवेचना के लिए सी0बी0आई0 को निर्देश जारी करने का सवाल है, हालांकि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन बार–बार यह दोहराया गया है

कि इस तरह का आदेश नियमित रूप से या केवल इसीलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए कि किसी पक्ष ने स्थानीय पुलिस के विरूद्ध कुछ आरोप लगाये हैं। इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और असाधारण परिस्थितयों में किया जाना चाहिए, जहां कि विश्वसनीयता प्रदान करना और विवेचना में विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने के लिए और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश पारित करना आवश्यकहो जाता है। अन्यथा सी0बी0आई0 बड़ी संख्या में मामलों से भर जायेगी और सीमित संशाधनों के साथ, गम्भीर मामलों की भी ठीक से विवेचना करना मुश्किल हो सकता है और इस प्रक्रिया में विवेचना के साथ अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो सकता है।''

14. विद्वान महाधिवक्ता बहुत निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार करते हैं कि विधि का कोई प्रावधान नहीं है जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सी0ओ0 हल्द्वानी के माध्यम से जांच कराने के लिए अधिकृत करता हो। यह न्यायालय द्वारा उठाये गये एक प्रश्न पर सूचित किया गया है क्योंकि एस0एस0पी0 नैनीताल द्वारा प्रस्तुत जवाबी शपथ पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक–15.07.2021 को उठाये गये प्रश्न संख्या–3 का कोई जवाब नहीं है। न्यायालय के बिन्दु संख्या–2 कि विधि का कौन–सा प्रावधान मजिस्ट्रेट जांच के लम्बित रहने के दौरान हिरासत में मौत के आरोपों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर रोक लगाता है, के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के द्वारा उसके जवाबी शपथ पत्र के पैरा संख्या–11 में कहते हैं कि मजिस्ट्रेट जांच के लम्बित रहने के दौरान हिरासत में मौत के आरोप के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है।

15. विद्वान महाधिवक्ता तर्क देंगे कि कानून के अनुसार विवेचना चल रही है, इसलिए, न्यायालय को इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और विवेचना के परिणाम के बाद, यदि अवसर उत्पन्न होता है तो उक्त मामले पर विचार किया जा सकता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता अन्वेषण एजेन्सियों के बीच यह चयन नहीं कर सकता है कि मामले की विवेचना किसे करनी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गयी है, के सम्बन्ध में विवेचना जारी है।

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क भी प्रस्तुत करेंगे कि उप–कारागार हल्द्वानी में एक सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया गया है लेकिन न्यायालय के द्व ारा यह पूछने पर कि क्या मामले की घटना सी0सी0टी0वी0 कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, तो वह कहेंगे कि इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं है।

17. मामले में आगे बढ़ने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत जवाबी शपथ पत्र का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। जवाबी शपथ पत्र के पैरा संख्या–11 में यह स्वीकार किया गया है कि मजिस्ट्रेट की जांच के लम्बित रहते प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है। तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी थी। जवाबी शपथ पत्र के पैरा संख्या–12(h) में एस0एस0पी0, नैनीताल के द्वारा निम्नवत कथन किया गया है –

> ''उप कारागार हल्द्वानी का सामान्य प्रशासन अधीक्षक, उप कारागार हल्द्वानी के हाथों में है और जेल के आन्तरिक प्रशासन में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। चूंकि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्य अपराध के सटीक विवरण और इसके आवश्यक विवरण के बारे में अस्पष्ट थे और यह शिकायत जेल अधिकारियों के विरूद्ध थी, जिसमें जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सी0ओ0 हल्द्वानी के माध्यम से जांच कराने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तुरन्त निर्देश दिया गया था और मजिस्ट्रेट की जांच के बारे में पता चलने पर वह इस प्रभाव में था कि मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट का इन्तजार करना उचित था। सम्मानपूर्वक यह भी कथन करना है कि मृत्यु के कारण के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी और विसरा को संरक्षित किया गया था तथा प्रार्थना पत्र में जेल अधिकारियों को आरोपित किया गया था और चूंकि घटना कथित रूप से जेल परिसर के अन्दर हुई है इसलिए शपथकर्ता ने मामले की प्रारम्भिक जांच करके और तथ्यों का पता लगाने के लिए चल रही मजिस्ट्रेट जांच के परिणाम की प्रतिक्षा करके तथ्यों का पता लगाना उचित समझा।''

तथ्य की पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह उल्लेखनीय है कि एस0एस0पी0 नैनीताल सुश्री प्रीति प्रियदर्शनी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की जांच बाधा नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्काल मामले में लगाये गये आरोप जेल का आन्तरिक मामला

नहीं हो सकता है। कानून के तहत पुलिस ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही कर सकती है।

18. वर्तमान मामले में दिनांक–26.05.2021 को धारा–156(3) सी0आर0पी0सी0 के तहत जारी किये गये निर्देश के बाद दर्ज की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के 45 दिन से भी अधिक दिन के बाद दर्ज की गयी थी। किस प्रकार निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित की जा सकती है ? निष्पक्ष विवेचना और निष्पक्ष विचारण जीवन के अधिकार के अनिवार्य अंग हैं। यह सच है कि कोई पक्ष जांच एजेन्सी का चयन नहीं कर सकता है। यह तय किया जाना है कि विवेचना अन्तरित की जानी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर बाद में आयेंगे लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में हिंसा और न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के ऐसे मामले की जमीनी हकीकत को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयों में उक्त बिन्दुओं पर चर्चा की गयी है। मध्यप्रदेश राज्य बनाम श्याम सुन्दर त्रिवेदी और अन्य (1995) 4 एस0सी0सी0 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नवत अवधारित किया गया है कि –

> ''उच्च न्यायालय ने जमीनी वास्तविकताओं की गलती से अनदेखी की है। जब उसने पाया कि प्रत्यर्थीगण की मिलीभगत के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। शायद ही कभी पुलिस यातना या पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होगा। आमतौर पर, यह केवल पुलिस अधिकारी ही हो सकते हैं, जो उन परिस्थितियों की व्याख्या कर सकते हैं, जिनकी हिरासत में व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। भाईचारे से बंधे होने के कारण, यह छिपा नहीं है कि पुलिस कर्मचारी चुप रहना पसन्द करते हैं और अक्सर अपने सहयोगी को बचाने के लिए सच्चाई को उजागर नहीं करते हैं और वर्तमान मामला एक उपुर्यक्त उदाहरण है कि कैसे एक के बाद एक पुलिस के गवाहों ने पूरे मामले के बारे में अनभिज्ञता का नाटक किया है।''

19. श्याम सुन्दर त्रिवेदी के (उपर्युक्त) मामले के पैरा संख्या–17 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आगे निम्नलिखित मत व्यक्ति किया है –

> ''पुलिस अभिरक्षा में यातनाएं जो अब बढ़ रही हैं, न्यायालयों के इस प्रकार के अवास्तविक दृष्टिकोण से प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं क्योंकि पुलिस के मन में इस विश्वास को मजबूत करती हैं कि अगर किसी बन्दी की लॉकअप में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि

अभियोजन पक्ष के पास उन्हें सीधे यातना के मामले में फंसाने के लिए शायद ही कोई साक्ष्य उपलब्ध होगा। न्यायालयों को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक सभ्य समाज में सबसे खराब प्रकार के अपराधों में से एक है, जो विधि के शासन द्वारा शासित एक सुव्यवस्थित सभ्य समाज के लिए एक गम्भीर खतरा है। हिरासत में यातना भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है और मानव गरिमा का अपमान है। पुलिस की ज्यादतियां और विचाराधीन बन्दियों/कैदियों या संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सभ्य राष्ट्र की छवि को धूमिल करता है और खाकी वर्दी के व्यक्ति को कानून से ऊपर मानने और कभी–कभी खुद कानून बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।''

20. डी0के0 बसु (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हिरासत में हिंसा और हिरासत में मृत्यु के मामलों के सम्बन्ध में निम्नवत टिप्पणी की है –

''इससे तथ्य की गम्भीरता और बढ़ जाती है कि यह उन व्यक्तियों द्व ारा किया जाता है जिन्हें नागरिकों का रक्षक माना जाता है। यह एक पुलिस स्टेशन या लॉकअप की चारदीवारों के भीतर वर्दी और अधिकार की ढाल के तहत कारित किया जाता है, जहां पीड़ित पूरी तरह से असहाय है। पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा यातना और दुरूपयोग से किसी व्यक्ति की सुरक्षा एक स्वतंत्र समाज में गहरी चिन्ता का विषय है।''

21. महबूब बाचा और अन्य बनाम राज्य (2011) 7 एस0सी0सी0 45 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डी0के0 बसु (उपर्युक्त) के मामले में दिये गये निर्देशों का निम्नवत उल्लेख किया है –

''हम देश के सभी पुलिसकर्मियों को चेतावनी देते हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। वर्तमान मामले में अभियुक्त के बर्बर आचरण का ग्राफिक विवरण हमारी अंतआत्मा को झकझोर देता है। पुलिसकर्मियों को एक लोकतांत्रिक देश में लोकसेवकों के रूप में व्यवहार करना सीखना चाहिए न कि लोगों के उत्पीड़क के रूप में।''

22. यह कहने की जरूरत नहीं है कि हिरासत में हिंसा और हिरासत में मौतों की घटनाएं कुछ न्यायालयों के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए बार–बार सामने आयी

हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेलों में जीवन के अधिकार का सम्मान हो तथा साथ ही साथ अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सम्बन्ध में Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisions, (2017) 10 SCC, 658 के मामले के पैरा संख्या–2 में निम्नवत मत व्यक्त किया गया है –

> ''अधिकांश समाजों की तरह, हम हिरासत में हिंसा और अप्राकृतिक मौतों के लिए अजनबी नहीं है लेकिन हमारा जीवंत लोकतंत्र हमें तर्कसंगत बहस के साथ इन मुद्दों पर बहस करने और चर्चा करने की अनुमति देता है। हालांकि, हिरासत में हिंसा (किसी भी रूप में) की आलोचना करने वाली सही आवाज वाले शोर किसी भी उपयोगी उद्देश्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि अधिकारी पीड़ितों की आवाज और मृतकों की खामोशी को नहीं सुनते हैं तथा उपचारात्मक कदम उठाकर उन पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में अधिकारियों के बीच अधिक संवेदनशीलता होनी चाहिए और हमारे देश में संवैधानिक अदालतों का कई दशकों से इस मुद्दों को लगातार उठाने का प्रयास रहा है।''

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों और परिपत्रों का भी हवाला दिया गया है। पैरा संख्या–58.4 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी जेलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एस0एल0एस0ए0 को भी शामिल किया है।

23. शीघ्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना एक ऐसा कदम है जो साक्ष्यों का शीघ्र संग्रह और निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित कर सकता है। सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2006) 3 एस0सी0सी0 178 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभिरक्षा हिंसा और अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में पैरा संख्या–49 में घटनाओं से निपटने के लिए निर्देश जारी किये हैं, पैरा नम्बर–49(d) इस प्रकार है –

> ''सभी प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के शीघ्र पंजीकरण के लिए सरल और त्रुटिहीन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।''

24. वर्तमान मामले में उप कारागार हल्द्वानी के गार्डों के खिलाफ मृतक की हिरासत में मौत का आरोप है। आरोप संज्ञेय अपराध के हैं। ललिता कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 2 एस0सी0सी0 1 के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि सूचना संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना अनिवार्य है और इसमें कोई प्रारम्भिक जांच अनुमत नहीं है। ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में प्रारम्भिक जांच को अधिकृत किया है। लेकिन निर्णय के पैरा संख्या–120.5 में माननीय उच्चतम न्ययालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रारम्भिक जांच का दायरा प्राप्त सूचना की सत्यता को सत्यापित करने के लिए नहीं है बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या सूचना किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट करती है।

25. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश पर वर्तमान मामले में पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। विवेचना जारी है। निःसन्देह, यह विधि द्व ारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है। विवेचना करने सम्बन्धी प्रावधान हैं। यह भी सच है कि कोई पक्ष उस अन्वेषण एजेंसी का चयन नहीं कर सकता है जिसके द्व ारा विवेचना की जानी चाहिए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है कि ''अन्वेषण को हस्तान्तरित करने की असाधारण शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और असाधारण परिस्थतियों में किया जाना चाहिए जहां विवेचना में विश्वसनीयता प्रदान करना और विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निहितार्थ हो सकते हैं या जहां ऐसा आदेश पूर्ण न्याय करने और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक हो जाता है।''

26. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डॉ0 नरेश कुमार मंगला बनाम श्रीमती अनिता अग्रवाल और अन्य, 2020 एस0सी0सी0 ऑनलाईन एस0सी0 1031 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अन्य एजेन्सी जैसे सी0बी0आई0 को विवेचना अन्तरित किये जाने की जो शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है, उसका सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। अरनव रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य (2020), 14 एस0सी0सी0 पेज 12, के पैरा संख्या–44 को सन्दर्भित किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नवत अवधारित किया गया है–

> ''44. किसी मामले की विवेचना को सी0बी0आई0 को हस्तान्तरित करने की दलील का आकलन करते हुए उक्त बाबत निर्णय लेने की गणना में अभिलेख पर अभिकथनों और याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह की

गयी प्रस्तुतियों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। हम ऐसा कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे विवेचना को सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित किया जा सके। इस प्रकार अवधारण करने में हमने इस न्यायालय के पूर्ववर्ती पूर्व निर्णयों के सिद्धान्तों को लागू किया है। उन्हें पूरा नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति विधिनुसार एक निष्पक्ष व जायज विवेचना किये जाने की अपेक्षा रखता है। अभियुक्त व्यक्ति की उस तरीके के बारे में नाराजगी जिसमें विवेचना की कार्यवाही या विवेचना करने वाली पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव का एक अप्रमाणिक आरोप (जैसा कि मौजूदा मामले में है) विधि की वैध प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतरने देना चाहिए और सी0बी0आई0 को विवेचना हस्तान्तरित करने के लिए असाधारण शक्ति का आह्वान करना चाहिए। न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में असाधारण मामलों में विवेचना को स्थानान्तरित करने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करती है ताकि आपराधिक न्याय प्रशासन की पवित्रता संरक्षित रखी जा सके। हालांकि कोई अप्रवर्तनीय दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किये गये हैं परन्तु यह धारणा है कि विवेचना को हस्तान्तरित करने के लिए असाधारण शक्ति का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है और नियमित स्थानान्तरण न केवल जनता का विधिक प्रक्रिया पर से विश्वास प्रभावित करेगा बल्कि उन असाधारण स्थितियों को भी अर्थहीन बना देगा, जो विवेचना को स्थानान्तरित करने की शक्ति के प्रयोग की गारन्टी देते हैं। अभिलेख की सामग्री के साथ–साथ याचिकाकर्ता के द्वारा आग्रह किये गये कथनों और प्रस्तुतियों को सन्तुलित और विचार में लेने के बाद हम पाते हैं कि उस प्रकृति का कोई भी मामला नहीं है, जो विवेचना हस्तान्तरण के लिए न्यायालय के पूर्व निर्णयों में उल्लिखित परीक्षणों के दायरे में आता हो।''

27. वर्तमान मामला कोई साधारण मामला नहीं है। हिरासत में मौत के आरोप हैं। आरोप उप कारागार हल्द्वानी के गार्ड्स के विरूद्ध हैं। मृतक जब उप कारागार हल्द्वानी में प्रविष्ट हुआ था, तो उसके शरीर पर कोई घाव किसी प्रकार का नहीं था और वह स्वस्थ और तंदरूस्त था लेकिन जब उसे उप कारागार हल्द्वानी से बाहर दिनांक–06.03.2021 को बेस अस्पताल, हल्द्वानी ले जाया गया, तो उसे मृत घोषित किया गया। न्यायालय इस स्तर पर चोटों के सम्बन्ध में किसी अवलोकन से स्वयं को दूर रख रहा है कि चोटें कैसे कारित हुई, किस कारण कारित हुई, किस प्रकार कारित हो सकती हैं और क्या उप कारागार में कोई

चिकित्सीय सहायता दी गयी थी, यदि हां तो वह क्या थी या जांच रिपोर्ट के बारे में जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के निर्देश पर सी0ओ0 हल्द्वानी के द्वारा की गयी है, जिसमें सी0ओ0 ने पाया है कि राहुल श्रीवास्तव के बयान की कोई सम्पुष्टि नहीं हुई है और उसके द्वारा कथित तौर पर उसे बताया गया है कि मृतक इधर–उधर भाग रहा था और वह गेट से टकराया और नीचे गिर गया। न्यायालय इस अवलोकन से भी स्वयं को दूर रखता है कि क्या सी0ओ0 ने इस बात की कोई सन्तुष्टि की थी कि क्या जमीन पर गिरने से या किसी सतह पर गिरने से ऐसी चोटे आ सकती थी ? यह केवल खरोंच या नीलगू चोट नहीं थी बल्कि पूरे शरीर पर चोटे थी। ये चोटे पैर के तलवों पर थी और जब डॉक्टर ने उन चोटों को विच्छेदित किया तो उतकों में रक्त भरा हुआ था और खून के थक्के जमे हुए थे। क्या यह ये इंगित नहीं करता है कि मृतक को बहुत क्रूरता से बलपूर्वक मारा गया था। विवेचक ही इस सत्य का पता लगा सकता है और विवेचक के द्वारा ही सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए।

28. याचिकाकर्ता के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सभी से सम्पर्क किया गया और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया गया कि मजिस्ट्रेट जांच चल रही है जबकि एस0एस0पी0 के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि मजिस्ट्रेट जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई बाधा नहीं है।

29. ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में दिये गये निर्देशानुसार संज्ञेय अपराध के मामलों में अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में हिरासत में मौत के आरोप हैं और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के द्वारा बिना किसी अधिकार के और बिना किसी विधिक प्रावधान के सी0ओ0, पुलिस से जांच किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार नैनीताल जिले की पुलिस की प्रमुख के द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं किया गया है और विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। इस न्यायालय को बताया गया है कि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी गयी

सूचना अस्पष्ट तथा अनुत्तरदायी प्रतीत हो रही थी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के द्वारा याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को अग्रसारित किया गया है और याचिकाकर्ता के द्वारा उसके प्रार्थना पत्र में सभी तथ्यों का वर्णन करते हुए कहा था कि न्यायिक अभिरक्षा में उसके पति की मृत्यु किस प्रकार हुई है और याचिकाकर्ता के द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी थी। उसमें किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं थी बल्कि सूचना पूर्ण रूप से स्पष्ट थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए थी।

30. न्यायालय के द्वारा उक्त टिप्पणियां इस निष्कर्ष के लिए की गयी हैं कि याचिकाकर्ता के मन में जो आशंका हैं वह निराधार नहीं है। याचिकाकर्ता के पास यह मानने का कारण है कि पुलिस के द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की जा सकती है। क्या यह भाईचारे का सम्बन्ध है कि मामले में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय सी0ओ0 हल्द्वानी को जांच करने का आदेश किया ? क्या यह भाईचारा नहीं है कि सी0ओ0 हल्द्वानी ने जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि चक्षुदर्शी साक्षी राहुल श्रीवास्तव के बयान की पुष्टि नहीं होती है ? क्या यह भाईचारा नहीं है कि सी0ओ0 हल्द्वानी ने अपना निष्कर्ष देने से पूर्व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कोई बयान अंकित नहीं किया है जिसने चोटें उल्लिखित की थी ?

31. जिस तरह से पुलिस ने मामले में कार्यवाही की है, उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का मत है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें निश्चित रूप से विवेचना सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित की जानी चाहिए। न्यायालय का यह भी अवलोकन है कि यह ऐसा मामला है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही प्रशासनिक रूप से तय की जानी चाहिए। इस निर्णय में लिखे गये शब्द और भारतीय संविधान में निहित जीवन के अधिकार का प्रावधान मृत साबित होगा, यदि प्रशासन के द्वारा गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है। इसलिए, न्यायालय निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नैनीताल, सी0ओ0, हल्द्वानी तथा उप कारागार हल्द्वानी के गार्डों के सम्बन्ध में संस्तुति करती है। अतः निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं –

(i) पुलिस थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–261/2021, अन्तर्गत धारा–302 भा0दं0सं0 की विवेचना तत्काल प्रभाव से सी0बी0आई0 देहरादून को स्थानान्तरित हो।

(ii) विवेचक यह सुनिश्चित करेगा कि विवेचना से सम्बन्धित सभी दस्तावेज तीन दिन के भीतर एस0पी0, सी0बी0आई0, देहरादून को सौंप दिये जायें।

(iii) नामित आरोपी हेड गार्ड देवेन्द्र प्रसाद यादव, गार्ड कृति नैनवाल, गार्ड देवेन्द्र रावत, गार्ड हरीश रावत उप कारागार हल्द्वानी को तत्काल उप कारागार हल्द्वानी से जिले के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये ताकि उप कारागार हल्द्वानी की चहारदीवारी के भीतर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके, अन्यथा चहारदीवारी के भीतर कोई भी सच बोलने का प्रयास नहीं करेगा और केवल पत्थर की दीवारें साक्षी होंगी, जो बदकिश्मती से बोल नहीं सकती कि दिनांक–06.03.2021 को क्या हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक प्रवेश कुमार की मृत्यु हुई है।

(iv) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल तथा सी0ओ0 पुलिस हल्द्वानी के नैनीताल जिले से बाहर स्थानान्तरण पर तत्काल विचार किया जाये।

(v) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल के विरूद्ध यथोचित विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जाये, जिसने विधिक रूप से बाध्य होने के बावजूद तत्काल कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और बिना किसी अधिकार तथा बिना किसी विधिक प्रावधान के सी0ओ0, पुलिस हल्द्वानी को हिरासत में मौत के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है।

32. इस आदेश की एक प्रति तत्काल प्रमुख सचिव (गृह) उत्तराखण्ड सरकार और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को भेजी जाये।

33. इस आदेश की एक प्रति राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तराखण्ड को भी भेजी जाये।

(रविन्द्र मैथाणी, जे.)
22.07.2021